न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– प्रीति नायक (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

एम.ए.सी संख्या–262/2022

(CNR No. RJDH110002852022)

1. जीतेन्द्र पुत्र श्री अनारसिंह, आयु 19 साल, निवासी ग्राम रामवक्स का पुरा, रहरई थाना सरमथुरा जिला धौलपुर। ....**याची**

बनाम

1. एसबीआई ज.इ.क.लि. प्रधान कार्यालय नटराज 101–201–301 जक्शंन ऑफ बैस्टर्न एक्स प्रेस हाईवे अन्धेरी कुर्ला रोड अन्धेरी ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र। (बीमा कम्पनी ट्रैक्टर नं. आरजे 11/आरबी 1103)
2. नेकराम पुत्र सीताराम निवासी सूबे का पुरा, विश्नौंदा थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर राज.। (वाहन स्वामी ट्रैक्टर नं. आरजे 11/आरबी 1103).........**–प्रत्यर्थीगण**

क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 140 व 166 मोटर वाहन अधिनियम 1988

उपस्थिति :–

1. श्री सत्येन्द्र सिंह, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
2. श्री नितिन मोदी अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं.1 बीमा कम्पनी।
3. श्री आर.पी. शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं.2 बीमा कम्पनी।

–:: *नि र्ण य* ::–

दिनांक 17 अगस्त, 2024

1. याची जीतेन्द्र की ओर से स्वयं के आहत होने बाबत क्षतिपूर्ति हेतु यह क्लेम याचिका दिनांक 22.09.2022 को इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 12.10.2022 को दर्ज हुई है।

2. याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.05.2022 को समय करीब सुबह 10:00 बजे, जीतेन्द्र अपने जीजा रामविलास व चाचा अमरसिंह के साथ बाल कटवाने के लिए रोड के किनारे, सडक की पटरी पर पैदल–पैदल चलकर चिलाचौंद जा रहे थे, जैसे ही जीतेन्द्र सरस्वती गैंगसा के पास पहुंचा, तभी बाडी की तरफ से एक ट्रैक्टर नं. आरजे 11/आरबी 1103 का चालक ट्रैक्टर को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और जीतेन्द्र में टक्कर मार दी, जिससे आई चोटों के कारण जीतेन्द्र के दोनों पैरों में अस्थिभंग तथा शरीर के अन्य जगह चोटें आई, जिसे इलाज के लिए जरीए एम्बुलेंस आंगई अस्पताल लाए, हालत गंभीर होने पर आंगई से धौलपुर रैफर कर दिया, धौलपुर से उच्च इलाज हेतु आगरा मेडिकेयर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, आगरा में भर्ती कराया, यहां जीतेन्द्र का इलाज हुआ। उक्त घटना की रिपोर्ट इलाज में व्यस्त होने के कारण अनारसिंह द्वारा दिनांक 22.05.2022 को थाना सदर बाडी पर दर्ज कराई। अतः आवेदक जीतेन्द्र आहत होने से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के बाबत विपक्षीगण से अन्तर्गत धारा 140, 166 एमवी एक्ट के तहत क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज व खर्चा संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से पाप्त करने के अधिकारी हैं।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम याचिका का जवाब प्रस्तुत कर प्रारम्भिक आपत्ति के रूप में अभिवचन किया है कि मोटर वाहन अधिनियम संशोधित जो दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी हुआ है, में उल्लेखित/प्रभावी प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 विलोपित हो जाने के कारण आवेदकगण की याचिका अन्तर्गत धारा प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तनीय है तथा विपक्षी संख्या 1 बीमा कम्पनी की ओर से जवाब दावे में याचिका के बिन्दुवार उत्तर में अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथन के रूप में अभिवचन किया है कि बीमा पॉलिसी एवं धारा 133, 134 में निहित शर्तों के तहत वाहन स्वामी व चालक द्वारा कथित दुर्घटना की सूचना पुलिस व बीमा कम्पनी को नहीं दी गई होने से आदि से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन से किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित नहीं हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित दुर्घटना दिनांक 02.05.2022 से करीब 20 दिन उपरान्त दिनांक 22.05.2025 दर्ज कराई गई होने, दौराने ईलाज आहत उसके परिवारीजनों मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा एवं इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा दुर्घटना में चोटें कारित होने बाबत पुलिस को सूचित नहीं किया गया होने से पुलिस को 100 न. पर भी सूचित नहीं किया गया होने से स्वतः ही प्रमाणित है कि अन्यत्र चोटें कारित होने से क्षतिपूर्ति राशि अदायगी का कोई दायित्व नहीं बनता है। पुलिस द्वारा प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर न. आरजे 11/आरबी 1103 को घटना दिनांक 02.05.2022 से करीब 24 दिन उपरान्त स्वयं वाहन स्वामी/चालक द्वारा स्वयं थाने में लेकर जब्त कराया गया होने से तथा नक्शा मौका में दुर्घटना के अलामात अंकित नहीं होने से तथा रोजनामचा में दुर्घटना बाबत तथ्य अंकित नहीं होने, आदि से स्वतः ही प्रमाणित है कि कथित दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन

से किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित नहीं हुयी है। प्रश्नगत वाहन के चालक को क्लेम में पक्षकार नहीं बनाया गया है। बीमा पॉलिसी की शर्तों एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 की अवहेलना होने से तथा बीमा अनुबंध व बीमा शर्तों के अनुसार वाहन चालक व स्वामियों का यह प्रथम दायित्व है कि वह वाहन द्वारा दुघ्र्टना घटित होने की सूरत में सूचना बीमा कम्पनी को आवश्यक रूप से अबिलम्ब दें परन्तु वाहन चालक व स्वामियो द्वारा दुर्घटना की सूचना बीमा कम्पनी को नहीं दी गयी है। वक्त दुर्घटना वाहन का उपयोग व उपभोग बीमा पॉलिसी में निहित शर्तों के विपरीत किया जा रहा था जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों व नियमों तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रवधानों का खुला उल्लंघन है तथा वाहन का उपयोग बीमाधारक के हितार्थ, लाभार्थ व निर्देशानुसार नियोजनार्थ नहीं किया जा रहा था। वक्त दुर्घटना कथित दुर्घटना चालक कथित दुर्घटना कारित वाहन चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी अनुज्ञाप्ति धारित नहीं था तथा वाहन वैध एवं प्रभावी परमिट फिटनेस प्रदूषण प्रमाण पत्र धारित नहीं था। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 147, 149, 150 व 152 के प्रावधान प्रकरण में लागू होते है।यह भी अविवचन किया है कि दायित्व का निर्धारण करते समय Composite & Contibutory Negligene सामुहिक व संयुक्त उपेक्षा व लापरवाही के सिद्वान्त को ध्यान में रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। याचीगण को कथित दुर्घटना में उत्पन्न हुई चोटें ऐसी प्रकृति की नहीं है जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 142 व ए,बी,सी परिधि में आती हो याचीगण किसी प्रकार की ब्याज कम्पनी से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उत्तरदाता बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु जिम्मेदार माना भी जावे या अन्य किसी प्रकार से माना जावे तो ब्याज अधिनियम 1978 की धारा 3 बैक प्रचलित दर 5 प्रतिशत वार्षिक एवं अपेक्स न्यायालय के निर्णय से अनाधिक ब्याज नहीं लगाया जावे। विकल्प में ब्याज अवार्ड की तिथि से दिलाई जावे। याचिका खारिज करने की प्रार्थना की गयी है।

4. विपक्षी संख्या 2 वाहन स्वामी की ओर से जवाब दावे में अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुए याचिका की कलम संख्या 27 में अभिवचन किया है कि दुर्घटना का विवरण जिस प्रकार तहरीर की गई है, जो पूर्णतः गलत एवं काल्पनिक है, जबकि प्रार्थी के वाहन ट्रैक्टर नं. आरजे 11/आरबी 1103 से कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, मात्र आवेदक जीतेन्द्र व अन्य ने पुलिस से साजकर प्रार्थी के वाहन को उक्त दुर्घटना में झूंठा लिप्त किया है। प्रार्थी के वाहन ट्रैक्टर नं. आरजे 11/आरबी 1103 तथाकथित समय वहां से गुजर रहा था, जिसे देख आवेदक एवं उसके शुभचिंतक ने प्रार्थी के वाहन ट्रैक्टर के खिलाफ झूंठी एफआईआर पुलिस से साजकर दर्ज कराई, विकल्प में न्यायालय श्रीमान प्रार्थी के वाहन को दुर्घटना होना मानते है, तो प्रार्थी का वाहन विपक्षी संख्या 1 के यहां विधिवत बीमित था तथा वाहन का संचालन बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार किया जा रहा था। उक्त स्थिति में सम्पूर्ण क्षति की जिम्मेदारी विपक्षी संख्या 1 द्वारा देय है। याचिका खारिज करने की प्रार्थना की गयी है।

5. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर क्लेम याचिका में निम्न विवाद्यक कायम किये गये –

1. आया दिनांक 02.05.2022 को समय करीब 10:00 बजे सुबह, जीतेन्द्र, रामविलास अमर सिंह के साथ सडक की पटरी पर पैदल–पैदल चिलाचौंद जा रहे थे। जब वे सरस्वती गैंगसा के पास

पहुंचे, तभी एक ट्रैक्टर नं. आरजे 11/आरबी 1103 आया व उसकेचालक ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर जीतेन्द्र को टककर मार दी जिससे जीतेन्द्र गंभीर रूप से आहत हुआ ?

........याची

2. आया प्रत्यर्थीगण के जबाव दावे के आधार पर क्लेम याचिका खारिज किये जाने योग्य है? **.....प्रत्यर्थीगण**

3. आया याची क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है? यदि हां तो कितनी राशि और किस पक्षकार से लेने का अधिकारी है?

........याची

4. अनुतोष ?

6. याचीगण की ओर से अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी ए.डब्ल्यू–1 जीतेन्द्र को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–130 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

7. प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी ने अपने आक्षेपों को प्रमाणित करने के लिए साक्षी एनए.डब्ल्यू–1 प्रेम प्रकाश धाकड को पेश कर परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श– एनए 1 को पेश कर प्रदर्शित करवाया है।

8. बहस के दौरान याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने क्लेम प्रार्थना पत्रों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया और याचीगण को वांछित क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता याचीगण ने अपने पक्ष व समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है–

1. Mangla Ram Vs. Oriental Ins. Co. Ltd. & Ors 2018 (1) ACTC (SC) 479
2. Bajaj Allianz Gen. Ins.Co. Ltd. Vs. Smt. Rajkumari Rastogi & Ors. Civil App. No. 2499-2500 of 2018 Decided on 6th April 2018
3. New India Assurance Co. ltd Vs. Sushma & Anr. 2018(1) ACTC (Raj.) 524
4. Ravi Vs. Badrinarayan & Ors. 2011 R.A.R 81 (SC)
5. Om Prakash Soni Vs. Rajendra Singh & Ors. 2022 (1) ACTC (Raj.) 432
6. Smt. Pushpa Sharma & Ors. Vs. Smt. Rajesh Sharma & Ors. 2019 (1) R.A.R 371 (Raj.)
7. Bhanwar Lal Verma Vs. Sharad Tholia & Ors. 2007 R.A.R 142 (Raj.)

9. बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया है कि यह कथन किया है कि दुर्घटना ट्रैक्टर नं. आरजे 11/आरबी 1103 से नहीं हुयी है। कथित वाहन को दुर्घटना में झूंठा लिप्त किया गया हैं। दुर्घटना की सूचना देरी से दर्ज करायी गयी है। दुर्घटना से संबंधित पूर्ण दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दुर्घटना की सूचना बीमा कम्पनी को नहीं दी गयी है। याचिका खारिज की जावे।

1. Oriental Ins. Co. Ltd Vs. Premlata Shukla & Ors. 2008 RAR 238 (SC)
2. North West Karnataka Rd. Trans. Corp. Vs. Gourabai & Ors. Civil App. No 3171 Of 2009
3. Sunil Kumar Devani Vs. Hawasingh & Ors. 2017(1) RAR 146 (Raj.)
4. Smt. Seema & Ors. Vs. Mohd Ali & Anr. 2016(1) RAR 51 (Raj.)
5. B.K Suresh Vs. Bajaj Allianz Gen. Ins. Co. Ltd Decided on 21 June 2016
6. Man Singh Vs. Prakash Chand & Ors. 2015(2) RAR 541 (Raj.)
7. Ramdev & Ors. Jeevan Singh & Anr. 2011 RAR 84 (Raj.)
8. Tamil Nadu state Transport Corp. Vs. C. Thangavel 2018 (1) TAC 259 (Mad.)
9. Surender Kumar Arora & Anr. Vs. Dr. Manoj Bisla & Ors. 2012 RAR 158 (SC)
10. Rina Sinha & Ors. Vs. Ramkesh & Ors. Mac App. No. 937/2018
11. Cholamandalam GIC Vs. Smt. Badami 2018(2) ACTC (Raj.) 676

12. National Ins. Co. Ltd. Vs BabLoo & Anr. MAC No. 2345 of 2015
13. Kailash Chand Meena Vs. Natthu Chand MACD 2010 (2) (Raj.) 855
14. Ratan Lal Vs. Laddu Kumar & Ors. 2023 (1) CCR 41 (Raj.)
15. Badri Gujar Vs. Banwari Lal Meena & Anr. 2019(1) ACTC (Raj.) 363
16. Ram Chandra Vs. Nizamuddin 2013 (2) CCR 1123 (Raj.)
17. Jansi Ram vs. Vinod Kumar &others 2014(1) CCR 31 (Raj.)
18. Shabber Khan Vs. Gaurav Sharma & Anr. SB Civil MISC App. No.547 of 2013
19. United India Ins. Co. Vs. Pawan Tikkiwal & Ors. MACD 2007 (2) (Raj.)718
20. Anil & Ors Vs. New India Assurance Co. Ltd &Ors. 2018(1) R.A.R 60 (SC)

10. बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया और यह कथन भी किया कि उनके वाहन से कोई दुघ्र्टना नहीं हुयी है तथा विकल्प में यह भी निवेदन किया है कि उनका वाहन प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कम्पनी के यहां बीमित था। अतः यदि कोई क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाती है तो उसकी अदायगी का दायित्व बीमा कम्पनी का है।

11. पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन कर बहस पर मनन करते हुये स्थापित विधि एवं पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। समस्त विवाद्यकों पर मेरा विनिश्चय निम्न है –

<u>विवाद्यक संख्या 1 व 2</u>

12. हस्तगत प्रकरण में विवाद्यक सं.1 व 2 एक दूसरे से संबंधित है इसलिए इनको एक साथ निस्तारित किया जा रहा है। इस विवाद्यक सं.1 को प्रमाणित करने का भार याचिकाकर्ता पर है जिसे प्रमाणित करने के लिए उसने साक्षी ए.डब्ल्यू 1 जीतेन्द्र को परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुल 1 लगा. 130 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये है तथा प्रत्यर्थीगण ने अपने आक्षेपों को प्रमाणित करने के लिए साक्षी एनए.डब्ल्यू–1 प्रेम प्रकाश धाकड को पेश कर परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श– एनए1 को पेश कर प्रदर्शित करवाया है।

13. हस्तगत प्रकरण में आहत चक्षुदर्शी साक्षी जीतेन्द्र ए.डब्ल्यू 1 ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 02.05.2022 को समय सुबह 10 बजे, अपने चाचा अमरसिंह व जीजा रामविलास के साथ बाल कटवाने के लिए गांव चिलाचौंद पैदल पैदल जा रहा था जब हम सरस्वती गैगसा के पास पहुंचे, तभी बाडी की ओर से एक ट्रैक्टर नं. आरजे 11/आरबी 1103 का चालक ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मुझे टक्कर मार दी और ट्रैक्टर वाला वहां से थोडी देर रूका और भीड होते ही ट्रैक्टर को भगा ले गया। उसके चाचा ने ऐम्बुलेंस को फोन किया और जरिये ऐम्बुलेंस उसे आंगई अस्पताल ले गये वहां से उसे धौलपुर रैफर कर दिया व धौलपुर से आगरा रैफर कर दिया जहां भर्ती रहा। इलाज में उसके घरवाले व्यस्त रहे तथा छुट्टी होने के बाद उक्त घटना की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दिनांक 22.05.2022 को थाना सदर बाडी पर दर्ज कराई। उसके इलाज में करीब पांच लाख रूपये खर्च हो गये। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि वह पांचवी तक पढा लिखा है व अंग्रेजी नहीं पढ पाता है। यह सुझाव सही बताया है कि एफआईआर प्रदर्श 3 घटना के 20 दिन बाद की है। यह सुझाव सही बताया है कि दौराने इलाज उसने उसके घरवालों ने उसके जीजा व चाचा ने, स्वयं या इलाज करने

वाले डॉक्टर के द्वारा आंगई, धौलपुर, आगरा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई । यह सुझाव सही बताया है कि आगरा अस्पताल में भी डॉक्टर से नहीं कहा कि ऐक्सीडेंट का केश है पहले पुलिस को बुलवालों। अज खुद कहां कि डाक्टर डॉक्टर को हमने एक्सीडेंट का बता दिया था। यह सुझाव सही बताया है कि प्रदर्श 130 के मुताबिक वह दिनांक 16.05.2022 को आगरा से डिस्चार्ज हो गया तब भी एफआईआर 6 दिन पश्चात दिनांक 22.05.2022 को दर्ज कराई गई थी। यह सुझाव सही बताया है कि आंगई अस्पताल का भर्ती, इलाज रैफर धौलपुर अस्पताल का भर्ती, इलाज रैफर का कोई पर्चा पेश नहीं किया। अज खुद कहां कि वे पर्चा खो गये। यह सुझाव सही बताया है कि आरटीआई के माध्यम से अस्पताल कोई प्रमाणित प्रति या डुप्लीकेट प्रति प्राप्त नहीं की। यह सुझाव सही बताया है कि नक्शा मौका प्रदर्श 4 पर ट्रैक्टर का नंबर, मैक, मॉडल, रंग, कहा से आया, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहां खडे हुये थे आदि अंकित नहीं है। यह सुझाव सही बताया है कि नक्शा मौका 21 दिन बाद बना है जिसमें अगल–बगल रहने वालों को स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया है। यह सुझाव सही बताया है कि घटना दिनांक की कोई एमएलआर व एक्सरे रिपोर्ट पेश नहीं की है। यह सुझाव सही बताया है कि उसकी एमएलआर व एक्सरे प्रदर्श 13 व 14 घटना दिनांक से 21 दिन बाद की है। वह नहीं बता सकता कि 21 दिन बाद सारी चोटें भर जायेगी। यह सुझाव सही बताया है कि प्रदर्श 7 उसके चाचा अमरसिंह के व जीजा रामविलास के व एफआईआर कर्ता अनार सिंह के सामने नहीं हुई। यह सुझाव सही बताया है कि फर्द जब्ती घ टना दिनांक 24 दिन बाद की है। वह सूबे के पुरा के मोहर सिंह गुर्जर को नहीं जानता। यह सुझाव सही बताया है कि वह भी जाति से गुर्जर है। यह सुझाव सही बताया है कि एमआई प्रदर्श 12 में कोई भी क्षति पाया जाना अंकित नहीं है। यह सुझाव सही बताया है कि प्रदर्श 40 लगातार 130 छपे हुये मेडीकल दुकान के पर्चे नहीं है। उन पर ड्रग लाइसेंस नंबर जीएसटी नम्बर, दवाईयों का बेच नंबर व एक्सपयारी दिनांक, कौन से डाक्टर ने लिखी उस डाक्टर का नाम अंकित नहीं है। यह सुझाव सही बताया है कि प्रदर्श 40 लगायत 130 के संबंध में डाक्टर के पर्चे भी पेश नहीं किये है। आगरा अस्पताल में डॉक्टरों को बता दिया कि उसे कैसे चोटें आई है। यह सुझाव सही बताया है कि प्रदर्श 38 व 39 के ए से बी भाग के अनुसार फॉल फ्राम ट्रॉली अंकित है। अज खुद कहां कि गलत अंकित कर दिया है। यह सुझाव सही बताया है कि गलत अंकित कर दिया है इस बाबत डाक्टर से कोई नवीन पर्चा बनवाकर नहीं लाया है। यह सुझाव सही बताया है कि प्रदर्श 17,18,21,22 में भी ड्रग लाइसेंस नंबर जीएसटी नंबर व दवाई लिखने वाले डाक्टर का नाम अंकित नहीं है। यह सुझाव सही बताया है कि प्रदर्श 130 स्टीमेट है फाइनल बिल नहीं है जिस पर कोई रसीद स्टांप भी नहीं लगा है जिस पर उसके पिता के हस्ताक्षर हो रहे है। यह कहना गलत है कि वह ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर जा रहा था और उसकी स्वयं की गलती से गिरन से चोटें आई हो और झूंठा क्लेम लेने के लिए बाद में अपने रिस्तेदारों से मिलकर 20 दिन पश्चात झूंठी एफआइआर दर्ज कराई हो। घटना स्थल से ऐम्बुलेंस से ले जाने का कोई पर्चा पेश नहीं किया है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि वह दुर्घटना के बाद बेहौश नहीं हुआ था। ट्रैक्टर वाला

दो मिनट मौके पर रूका था उसके बाद भागा था। ट्रैक्टर के चालक व स्वामी के नाम की उसे आज तक जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि ट्रैक्टर को झूंठा फंसाया हो और उससे कोई दुर्घटना नहीं हुई हो।

14. विवाद्यक संख्या 1 को ना साबित करने के लिए तथा अपने आक्षेपों को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कम्पनी का साक्षी एन.ए.डब्ल्यू 1 प्रेम प्रकाश धाकड ने सशपथ कथन किया है वह बीमा कंपनी एसबीआई ज.इं.कं.लि. की ओर से इस प्रकरण में साक्ष्य देने सक्षम व अधिकृत है। उक्त प्रकरण में उसके द्व ारा श्री जीतेन्द्र के मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था। दौराने अनुसंधान मेडिकल दस्तावेज के सत्यापन हेतु आगरा मेडिकेयर आगरा में गया। मेडिकल इंचार्ज से मिलकर मेडिकल दस्तावेज का सत्यापन किया। सत्यापन में पाया कि जीतेन्द्र के मेडिकल दस्तावेज में Fall from Trolly अंकित है। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श एनए 1 जिसके ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता याची की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि उक्त प्रकरण में उसे कंपनी द्वारा कब नियुक्त किया गया, आज उसे ध्यान नही हैं। यह सही है कि डॉ. द्वारा सत्यापन के दौरान उसे ऐसा कोई दस्तावेज नही दिया गया जिसमें Fall from Trolly अंकित हो। यह सही है कि वह डॉक्टर के पास दस्तावेज सत्यापन हेतु किस दिनांक को गया, आज उसे ध्यान नही है। जिस प्रभारी डॉ. से उसने पूंछताछ की, उसका नाम उसे ध्यान नही है लेकिन वह अस्पताल में प्रभारी चिकित्सक था। उसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.01.2024 को बीमा कंपनी को भेजी। वह एसबीआई ज.इं.कं.लि. में पैनल जांचकर्ता है। उसे प्रकरण जांच करने बाबत कंपनी फीस देती है। उक्त मेडिकल सत्यापन के संबंध में उसके खर्च बाबत कंपनी ने शुल्क अदा किया है। यह वह ठीक से नही बता सकता है कि कंपनी प्रत्येक केस में अनुसंधान कराती हो। उसे जानकारी नही है कि कंपनी ने इस प्रकरण में पृथक से अनुंसधान कराया या नही। उसकी जानकारी में नही है कि कंपनी ने झूंठा पाया जाने की कोई रिपोर्ट दर्ज करायी या नही। उसने दौराने अनुसंधान प्रभारी चिकित्सक से लिखित रूप से बयान देने को कहा था लेकिन उसने स्पष्ट रूप मना कर दिया लेकिन मौखिक रूप से जानकारी दी थी। आज उसे ध्यान नही है कि जीतेन्द्र किस दिनांक को भर्ती हुआ और किस दिनांक को डिस्चार्ज हुआ था। यह कहना गलत है कि कंपनी को क्लेम से बचाने के लिए उसने घर बैठे रिपोर्ट बनाई हो और आज वह झूंठे बयान दे रहा है।

15. इस प्रकार साक्षी एनए डब्ल्यू 1 प्रेम प्रकाश धाकड की साक्ष्य में मैडीकल दस्तावेजात के सत्यापन बाबत है। एडब्ल्यू 1 जीतेन्द्र की ओर से मैडीकल बिल प्रदर्श 40 लगायत 125 प्रस्तुत किये गये है। उक्त बिलों से यह स्पष्ट है कि उक्त बिल, बिल बुक पर जारी किये गये है तथा उक्त प्रदर्शो पर ड्रग लाईसेन्स नम्बर, जीएसटी नम्बर, विकय की गयी दवाइयो के बैंच नम्बर एक्सपाइरी दिनांक एवं किस डॉक्टर के द्वारा उक्त दवाइयां लिखी गयी है उस डॉक्टर का नाम तथा दवाई विक्रेता की दुकान अथवा फर्म का नाम अंकित नहीं है इसलिए याची की ओर से प्रस्तुत मैडीकल बिल प्रदर्श 40 लगा. 125 विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त याची की ओर से प्रस्तुत मैडीकल बिल प्रदर्श 40 लगा. 125 डॉक्टर के इलाज के पर्चो से समर्थित नहीं है क्योंकि उक्त बिलों में वर्णित दवाइयों

बाबत इलाज के पर्चे पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार एनए डब्ल्यू 1 प्रेम प्रकाश धाकड की मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से ए डब्ल्यू 1 जीतेन्द्र को दुर्घटना से चोटें पहुंचना माने जाने योग्य नहीं है तथा यही निकलकर सामने आता है कि स्वयं आहत जीतेन्द्र को ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने के परिणामस्वरूप उक्त चोटें पहुंची है।

16. प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी का एक मुख्य आक्षेप यह रहा है कि दुर्घटना दिनांक 02.05.2022 को हुयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 3 के अनुसार दिनांक 22. 05.2022 को दर्ज करवायी गयी है जो 20 दिन की देरी से दर्ज हुई और देरी का कोई स्पष्टीकरण पेश नही किया है। याचिका खारिज की जावे। इस संबंध में स्वयं आहत जीतेन्द्र ए.डब्ल्यू 1 ने घटना की रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का कारण ईलाज में उसके घर वाले व्यस्त रहना तथा छुट्टी होने के बाद उक्त घटना की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दिनांक 22.05.2022 को थाना बाडी सदर में दर्ज कराना बताया है तथा स्वयं एडब्ल्यू 1 जीतेन्द्र ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श 130 के मुताबिक वह दिनांक 16.05.2022 को आगरा से डिस्चार्ज हो गया था तब भी एफआईआर 6 दिन पश्चात दिनांक 22.05.2022 को दर्ज करायी गयी हैं जबकि स्वयं आहत जीतेन्द्र साक्षी ए.डब्ल्यू 1 अपने मुख्य परीक्षण में एफआईआर में देरी का कारण इलाज में व्यस्त रहना बताता है तथा घटना के बाद आहत जीतेन्द्र विभिन्न अस्पतालों में ईलाज कराना बताया है लेकिन किसी भी अस्पताल के डॉक्टर के द्व ारा पुलिस को सूचना नहीं दी गयी है जबकि घटना रोड एक्सीडेन्ट की है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम सूचना देरी से दर्ज कराने का कोई सुदृ़ड साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य याची की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Ravi Vs. Badrinarayan & Ors. 2011 DNJ (SC)227 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां दुर्घटना के साक्ष्य अन्य तथ्यों से प्रमाणित है तो एफआईआर में हुई देरी को स्पष्टीकृत किया गया हो तो देरी क्षम्य होती है जो हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा नहीं होती है।

17. याचीगण अपने अभिवचनों को चक्षुदर्शी साक्ष्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रहे है व बीमा कपंनी अपने आक्षेपों को प्रमाणित करने में सफल रहे है। ऐसी दशा में याचीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथ्य भिन्नता के आधार पर कोई सहायता प्रदान नही करते हैं।

18. इस प्रकार याचीगण की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि एडब्ल्यू 1 जीतेन्द्र ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वक्त घटना अपने चाचा अमरसिंह व जीजा रामविलास का साथ में होना बताया है तथा यही तथ्य एडब्ल्यू 1 जीतेन्द्र के पिता अनार सिंह द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 2 में अंकित है किन्तु उपरोक्त दोनों महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षियों को याची जीतेन्द्र के द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया हैं। इसी प्रकार एडब्ल्यू 1 जीतेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि उसके चाचा उसको एम्बुलेस से आगई अस्पताल ले गये वहा से उसे धौलपुर रैफर कर दिया व धौलपुर से आगरा रैफर कर दिया, आगरा में उसका ईलाज मेडीकेयर सुपर स्पेश्लिस्ट अस्पताल में

चला। इसी आशय के तथ्य तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 2 में अंकित है किन्तु आगई तथा धौलपुर अस्पताल में इलाज चलने बाबत तथा आगई एवं धौलपुर से रैफर किये जाने बाबत कोई पर्चें घटना दिनांक 02.05.2022 के याची जीतेन्द्र ने प्रस्तुत नहीं किये है। इसी प्रकार याची की ओर से प्रस्तुत आगरा मेडीकेयर के पर्चें प्रदर्श 38 तथा 39 में आरटीए (Fall From Trally) अंकित है। आगरा मेडीकेयर के पर्चें प्रदर्श 38 तथा 39 में आरटीए के साथ (Fall From Trally) क्यो अंकित किया गया है। इस बाबत कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त याची जीतेन्द्र यदि स्वयं ट्रोली से नहीं गिरा था तो वह अवश्य ही संबंधित अस्पताल के डॉक्टर को अपने पक्ष समर्थन में परीक्षित करवाता तथा स्वयं के उक्त चोटें ट्रैक्टर की टक्कर से आना उक्त डॉक्टर को बताता एवं मेडीकेयर अस्पताल के डॉक्टर द्वारा अवश्य ही एक्सीडेन्ट बाबत सूचना अविलम्ब संबंधित थाने को दी जाती। इसी प्रकार आगई एवं धौलपुर अस्पताल के डॉक्टर को भी ट्रैक्टर से दुर्घटना होने बाबत बताने पर उनके द्वारा संबंधित थाने में दुर्घटना बाबत सूचना दी जाती किन्तु आगई तथा धौलपुर में आहत जीतेन्द्र के द्वारा स्वयं के दुर्घटना में चोटें आने बाबत ऐसी कोई सूचना दी गयी हो इस बाबत कोई विवरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। याची की ओर से प्रस्तुत नक्शा मौका प्रदर्श 4 दुर्घटना के 21 दिन बाद बनाया गया है तथा इसमें मात्र दुर्घटना स्थल को ही दर्शित किया गया है तथा ट्रैक्टर किस दिशा में कहा से आया तथा आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षीगण किस स्थान पर कहा खडे हुए थे इस बाबत कोई अंकन नहीं है। पत्रावली पर याची की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फर्द जब्ती प्रदर्श 7 तथा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श 15 प्रस्तुत की गयी है जिनसे यह सावित होता है कि संबंधित ट्रैक्टर मैसी फरग्यूशन नम्बर आरजे 11 / आरबी 1103 को घटना दिनांक 02.05.2022 के उपरान्त काफी विलम्ब से दिनांक 26.05.2022 को जब्त किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में दुर्घटना कारक वाहन की जब्ती भी संदेहजनक हो जाती है।

19. याची ने चार्जशीट प्रदर्श 1 चार्जशीट नं. 79 / 2022 दिनांक 30.06.2022 अन्तर्गत धारा 279.337.338 भा.द.स. जो अभियुक्त सीताराम पुत्र मोहर सिंह के विरुद्ध लोक मार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाही से वाहन चलाकर साधारण व गंभीर उपहति कारित करने के आरोप में पेश हुई है। परन्तु आहत ए डब्ल्यु 1 जीतेन्द्र की साक्ष्य का समर्थन अन्य चक्षुदर्शी साक्षी रामविलास व अमर सिंह की साक्ष्य से नहीं हुआ है तथा प्रदर्श 40 लगायत 125 मैडीकल बिल ईलाज के पर्चो से समर्थित नहीं हैं। बिलों पर दवाई विक्रय का विवरण जीएसटी नम्बर, ड्रग लाईसेन्स नम्बर, दवाइयों का बेंच नम्बर व उपभोग की अंतिम तिथि अंकित नहीं है। प्रदर्श 4 नक्शा मौका तथा ट्रैक्टर की फर्द जब्ती काफी विलम्ब से की गयी है। आगई तथा धौलपुर अस्पताल के दुर्घटना दिनांक के इलाज एवं रैफर संबंधी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं जबकि एनए डब्ल्यू 1 प्रेम प्रकाश धाकड की साक्ष्य का समर्थन प्रदर्श 40 लगायत 125 मैडीकल बिलों एवं प्रदर्श 38 व 39 आगरा मैडीकेयर के इलाज के पर्चों से होता है ऐसी स्थिति से एडब्ल्यू 1 जीतेन्द्र की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य नहीं है तथा दुर्घटना के तथ्य खण्डित हुये है जिससे प्रदर्श 1 का निष्कर्ष स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। हालांकि याची द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 5 व 6 नोटिस 133 व 134 एमवी एक्ट

में विपक्षी संख्या 2 वाहन स्वामी नेकराम के द्वारा उसके वाहन ट्रैक्टर नम्बर आरजे 11/आरबी 1103 को वक्त दुर्घटना चालक सीताराम के द्वारा चलाये जानें का जबाव दिया है का अंकन है परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 वाहन स्वामी के जवाब की कॉलम संख्या 10 में स्पष्ट रूप से याचिका की कॉलम संख्या 17 से 18 स्वीकार है जबाव की मौहताज नहीं है का अंकन किया है। एक ओर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रदर्श 5 पर अंकन किया है कि वक्त दुर्घटना ट्रेक्टर नम्बर आरजे 11 आरबी 1103 को उसका चालक पिता सीताराम चला रहा था जबकि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श 5 व 6 एमवी एक्ट 133 व 134 नोटिस के पश्चात जवाब याचिका के अभिवचन में उपरोक्त नम्बरी ट्रैक्टर के चालक को ज्ञात नहीं होने को अभिवचनों को स्वीकार करने कारण प्रदर्श 5 व 6 के तथ्य समाप्त हो जाते है। उपर किये गये सम्पूर्ण विवेचन से याची एडब्ल्यू 1 जीतेन्द्र की साक्ष्य स्वमेव विरोधाभाषी व अविश्वसनीय है जिससे प्रदर्श 5 व 6 भी अविश्वसनीय होकर प्रदर्श 1 आरोप पत्र निष्पक्ष व स्वतंत्र नहीं रह जाता है।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Mathew Alexander Vs. Mohammed Shafi and Anr. Criminal Appeal No. 1931 of 2023 (Arising out of SLP No.8211 of 2022)** में अभिनिर्धारित है कि पुलिस के आरोप पत्र से अधिकरण बाध्य नही है। ऐसी दशा में याची द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 आरोप पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। हस्तगत प्रकरण में स्वयं याची एडब्ल्यू 1 जीतेन्द्र की साक्ष्य स्वमेव विरोधाभाषी होकर खण्डित हुई है।

21. उपरोक्त याची की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नही होता है कि दिनांक 02.05.2022 को समय करीब 10:00 बजे सुबह, जीतेन्द्र, रामविलास अमर सिंह के साथ सडक की पटरी पर पैदल–पैदल चिलाचौंद जा रहे थे। जब वे सरस्वती गैंगसा के पास पहुंचे, तभी एक ट्रैक्टर नं. आरजे 11/आरबी 1103 आया व उसकेचालक ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर जीतेन्द्र को टक्कर मार दी जिससे जीतेन्द्र गंभीर रूप से आहत हुआ। ।

अतः यह विवाद्यक सं.1 याचीगण अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे है और विवाद्यक सं.2 प्रत्यर्थीगण सावित करने में सफल रहे है अतः उक्तानुसार दोनो विवाद्यक तय किये जाते है।

<u>विवाद्यक संख्या 3</u>

22. हस्तगत प्रकरण में विवाद्यक सं.3 को साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर है। जब विवाद्यक सं.1–2 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध तय किये है तब याची को को दिलाई जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि व उसके दायी पक्ष के बिन्दु का निर्धारण किये जाने का औचित्य समाप्त हो जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार इस विवाद्यक का निर्णय याचिकाकर्ता के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

अनुतोष

23. प्रकरण में विवाद्यक सं.1, 2, 3 प्रमाणित नही हुए है जिससे यह याचिका नं. 262/2022 जीतेन्द्र बनाम एसबीआई ज.इ.क.लि. वगैरा स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है –

–:: आदेश ::–

24. निष्कर्षतः याचीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका नं. 262/2022 जीतेन्द्र बनाम एसबीआई ज.इ.क.लि. वगैरा स्वीकार किया जाने योग्य नही होने से खारिज की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करें।

(प्रीति नायक)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा, अधिकरण
धौलपुर, राजस्थान

25. यह निर्णय आज दिनांक **17.08.2024** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर पक्षकारान को सुनाया गया।

(प्रीति नायक)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा, अधिकरण
धौलपुर, राजस्थान